



—: कार्यालय :—

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल।

Email —dfo-latehar@gov.in

Mobile No. —8987790240

Pin Code - 829206

पत्रांक / दिनांक..... /

सेवा में,

तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड,
हिनू पो0—डोरण्डा, राँची (834002)।

विषय :— राजबार E&D कोल ब्लॉक हेतु 520.35 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :— आपका पत्रांक 459/21—22 दिनांक 14.09.2021 इस कार्यालय का पत्रांक 904 दिनांक 28.06.2021 एवं पत्रांक 1348 दिनांक 07.09.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि राजबार E&D कोल ब्लॉक हेतु 520.35 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव में पायी गयी त्रुटियों/कमियों का निराकरण करते हुए आपका पत्रांक 459/21—22 दिनांक 14.09.2021 द्वारा दिनांक 15.09.2021 को प्रस्ताव की आठ प्रति मूल रूप में प्राप्त है। समर्पित प्रस्ताव के जॉचोपरान्त निम्नांकित त्रुटियों/कमियों पायी गयी है:—

01. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होनेवाले वन भूमि का Village Map 16"=1 Mile के स्केल में समर्पित नहीं किया गया है, अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित लैण्ड शिड्यूल एवं आपके द्वारा समर्पित लैण्ड शिड्यूल के रकबा में भिन्नता है, इसमें सुधार की आवश्यकता है।
02. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होनेवाले गैर मजरूआ जंगल—झाडी भूमि का आयुक्त, पलामू द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं है।
03. वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत उपायुक्त, लातेहार का प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं है।
04. वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत ग्राम सभा की कॉपी संलग्न नहीं है।
05. वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या 05/स0भू0 लातेहार (विविध)—181/18 (छाया संचिका)—4715 दिनांक 27.11.2018 के बिन्दु तीन के आलोक में कैडस्ट्रल सर्वे (C.S) के आधार पर लैण्ड शिड्यूल नहीं होने पर उपायुक्त, लातेहार द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र (प्रपत्र—1) एवं आपके स्तर से निर्गत वचनबद्धता पत्र (प्रपत्र—2) नौ प्रतियों में समर्पित करें (सुलभ संकेत हेतु छायाप्रति संलग्न)।
06. परियोजना में अपयोजित होने वाले वन भूमि के विरुद्ध एन0पी0भी0 की राशि समर्पित करने संबंधी वचनबद्धता पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में समर्पित नहीं किया गया है।



—: कार्यालय :—

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल।

Email —dfo-latehar@gov.in

Mobile No. —8987790240

Pin Code - 829206

07. समर्पित प्रस्ताव के फार्म A में ग्राम-रेंची का रकबा 67.65 हे० एवं अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित लैण्ड शिड्यूल का रकबा 65.60 हे० दर्शाया गया है, इसमें सुधार की आवश्यकता है।
08. प्रस्ताव के साथ 'माईन्स रिकलेमेशन प्लान' समर्पित नहीं किया गया है।
09. प्रस्ताव के साथ पुनर्वास योजना समर्पित नहीं किया गया है।
10. प्रस्ताव के साथ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति (NOC) समर्पित नहीं किया गया है।
11. प्रस्ताव के साथ Catchment Area Treatment Plan समर्पित नहीं किया गया है।
12. प्रस्ताव के साथ Tribal Development Plan समर्पित नहीं किया गया है।
13. प्रस्ताव अंतर्गत अपयोजित होनेवाले सम्पूर्ण वन भूमि में उपलब्ध वृक्षों की गणना सूची संलग्न नहीं है।
14. परियोजना में अपयोजित होने वाले वन भूमि के विरुद्ध क्षतिपूरक वनरोपण की राशि जमा करने संबंधी वचनबद्धता पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में समर्पित नहीं किया गया है।
15. अपयोजित होनेवाले वन भूमि के विरुद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु DGPS Map, Cadastral Map, KML File की Soft एवं Hard Copy में समर्पित किया जाय।
16. समर्पित प्रस्ताव के कुछ पृष्ठों पर हस्ताक्षर एवं मोहर (नाम एवं पदनाम सहित) अंकित नहीं है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक 830 दिनांक 19.07.2021 के आलोक में निम्नांकित निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय :—

01. समर्पित प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर नाम, पदनाम, तिथियुक्त हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित करना सुनिश्चित किया जाय।
02. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भरे जाने वाले Form-A, Part-I जिनपर प्रयोक्ता अभिकरण का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित रहता है को Parivesh Portal पर Additional document के रूप में Online upload किया जाय।
03. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित Land Schedule जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित किया जाता है, कि हस्ताक्षरित प्रति Additional document के रूप में Online upload किया जाय।
04. वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत निर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रति Additional document के रूप में Online upload किया जाय।



—: कार्यालय :—

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल।

Email —dfo-latehar@gov.in

Mobile No. —8987790240

Pin Code - 829206

05. प्रस्ताव के साथ समर्पित CA, NPV, Additional NPV की राशि जमा करने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र को Additional document के रूप में Online upload किया जाय।

06. प्रस्ताव के साथ समर्पित Joint Tree enumeration list में कुल enumerated प्रजातिवार वृक्षों की संख्या तथा उनमें से कितने वृक्षों का पातन अनिवार्य रूप से किया जाना है, की संख्या प्रतिवेदित होना आवश्यक है। इससे संबंधित गणना सूची की सत्यापित प्रति Additional document के रूप में Online upload किया जाय।

अतः प्रस्ताव की आठ प्रति मूल रूप में वापस करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त पायी गयी त्रुटियों/कमियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव की आठ प्रति प्रमण्डलीय कार्यालय समर्पित किया जाय ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/—

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लातेहार वन प्रमण्डल।

ज्ञापांक 1425 / दिनांक 18/9/2021 /

- प्रतिलिपि :—
- 01 मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर को सूचनार्थ समर्पित।
 - 02 क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर को सूचनार्थ समर्पित।
 - 03 प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लातेहार वन प्रमण्डल।